न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/164

1. विवेक कुमार नागर शिव प्रकाश नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा–राज0 नाबालिग जरिये वली माता मीना नागर पत्नी शिवप्रकाश नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
2. विध्या नागर पुत्री शिव प्रकाश नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 नाबालिग जरिये वली माता मीना नागर पत्नी शिवप्रकाश नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

– अपीलांट

बनाम

1. शिवप्रकाश नागर पुत्र जगदीश जाति धाकड़ निवासी ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राज

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस– श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय दिनांक 27.02.2026

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 154/2022 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी की पुश्तेनी आराजीयात माल ग्राम लसाडियाकलां पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज.मे संवत 2075–2078 की खाता नं. 119 की खसरा नं. 217 की 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नं. 272 की 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नं. 353 की 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 56 की 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 57 की 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 58 की 1.3300 हैक्टेयर, कुल किता 7 की 3.4900 हैक्टेयर आराजी जो प्रतिवादी नं. 1 के एकल खाते मे दर्ज है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात् प्रतिवादी नं. 1 को वादीगण के दादा जी प्रतिवादी नं. 1 के पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश जी को वसीयत के आधार

पर व प्रतिवादी की बहिन व वादीगण की बुआ संतोष बाई, ब्रजेशबाई ओर वादीगण की दादी व प्रतिवादी नं. 1 की मां गीताबाई द्वारा रिलीज (हक त्याग) करने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद से निर्णय व डिकी दिनांक 25/3/2011 से डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज होने से प्रतिवादी नं. 1 को खातेदारी प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से आराजी में बहक पुत्र होने से हिन्दू, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पति मे बराबर के हकदार होने से वादीगण वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का नाम खाते में प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में बराबर का हिस्सेदार होने से अपना–अपना हिस्सा खाते मे दर्ज करवाने के अधिकारी हे तथा प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में वादी नं 1 का 1/3 हिस्सा वादी न. 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज करवाना ही इस वाद की विषय वस्तु है। वादीगण ही प्रतिवादी नं. 1 की सेवा सुषुक्षा कर रहे हे ओर वादीगण व प्रतिवादी 1 एक ही परिवार मे निवासी कर रहे प्रतिवादी नं. 1 अपने परिवार की व वादीगण की परवरिस नहीं कर रहा हे तथा अपने परिवार का कर्ता होने का धर्म नहीं निभा रहा हे तथा वादीगण अपनी माता व दादी के सानिध्य में अपने परिवार का गुजर बसर वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से को शान्ति पूर्वक काश्त करके परिवार चलाते आ रहे थे परन्तु इस वर्ष प्रतिवादी शराब पीने का आदि हो गया ओर हमेशा शराब के नशे में रहता हे ओर जुआ सट्टा में व्यर्थ धन खर्च करने लग गया हे आराजी पर बैंक से ऋण लेकर ऋण राशि भी व्यर्थ खर्च कर दी हे तथा वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में से कुछ आराजी भी विक्रय कर कब्जा दूसरो को संम्भलाने पर आमादा हे तथा प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण को फसल काटने से मना कर दिया हे वादीगण ने बहुत समझाया लेकिन आराजी में हिस्सा देने से इनकार कर दिया ओर सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने की कही तथा आराजी से बेदखल करने की कही वादीगण ने प्रतिवादी नं.1 से अपने अपनी पढाई लिखाई व अन्य कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रूपयो की आश्यकता होने की कही परन्तु प्रतिवादी नं.1 द्वारा वादी की एक नही सुनी प्रति वादी क्रम 1 ने साफ मना कर दिया ओर कहा मेरे खाते की आराजी में मेरी मर्जी में आयेगी वही करूगा ओर सहयोग करने से साफ मना कर दिया इस पर वादीगण पटवारी हल्का के पास मे अपना नाम खाते में दर्ज करवाने के लिए गये तो पटवारी हल्का ने अदालत से आदेश लानी की कहने पर वादीगण प्रतिवादी नं. 2 के पास गये पर प्रतिवादी नं. 2 ने भी असमर्थता जताई तथा वाद पेश करने की कही इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है। वाद मे लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जर्ये राजस्थान सरकार भूमिध् गारी व आवष्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी नं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । वाद कारण दिनांक 26/8/2022 को वादीगण की माता जर्ये संरक्षक प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी मे वादीगण 1 व 2 का हिस्सा होने की कहने पर प्रतिवादी नं.1 द्वारा कहा कि मेरे खाते की आराजी हे मे मेरी मर्जी आये जो करू शराब पीऊ या जुआ में उडाऊ मेरे एकल खाते की आराजी हे में मेरी मर्जी आयेगी वही करूगा वादीगण कोन होते हे मेरे को आराजी बेचने से रोकने वाले ओर प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में निहित हिस्से 2/3 से मौके से बैदखल करने की धमकी

देने पर उत्पन्न हुआ है। विवादित आराजी माल ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज. मे स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । वाद पत्र का मूल्यांकन 2000 रू नियत कर वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वादीगण के पक्ष मै व प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कीः– (अ) माल ग्राम लसाडियाकलां पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज.मे संवत 2075–2078 की खाता नं.119 की खसरा नं. 217 की 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नं. 272 की 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नं. 353 की 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 56 की 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 57 की 0.0200 हे., खसरा नं. 58 की 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 7 की 3.4900 हैक्टेयर आराजी मे वादी नं. 1 विवेक कुमार नागर का 1/3 हिस्सा वादी नं. 2 विध्या नागर का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 शिवप्रकाश का 1/3 हिस्सा इसी प्रकार खातेदारः–कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कृपा करे, दोराने दावा प्रतिवादी नं. 1 किसी भी व्यक्ति को आराजी रहन बैय फरोक्त नहीं करने हेतु भी पाबन्द किया जावे यदि दौराने दावा प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द बुर्द कर दे अन्य व्यक्ति को कब्जा दे तो पुनः वादीगण को उनके हिस्से की आराजी 2/3 हिस्से आराजी का रिक्त कब्जा दिलाया जाने की कृपा करे । (ब) अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वादीगण को दिलवाई ही जावें।

3. उक्त आशय का वाद–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2025 को वादीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम दिनांक 15.04.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह सहायता चाही गई थी कि माल ग्राम लसाडियाकलां पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में सम्वत 2075–2076 की खाता संख्या 119 की

ख0नं0 217 की 0.4300 है०, ख०नं० 272 की 0.1200 है०, ख०नं० 353 की 0.2000 है०, ख0नं0 56 की 1.3400 है० ख0नं0 57 की 0.0200 है०, ख०नं० 58 की 1.3300 है० कुल कित्ता 7 की 3.4900 है० आराजी में वादी नं० 1 विवेक कुमार नागर का 1/3 हिस्सा, वादी नं० 2 विध्या नागर का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 शिवप्रकाश का 1/3 हिस्सा इसी प्रकार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करें। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी व्यक्ति को आराजी रहन, वैय, फरोक्त नहीं करने हेतु भी पाबन्द किया जावे यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द बुर्द करदे अन्य व्यक्ति को कब्जा दे दे तो पुनः वादीगण को उनके हिस्से की आराजी 2/3 हिस्से आराजी का रिक्त कब्जा दिलाया जाने की कृपा करें। उक्त वाद को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पत्ति है। रेस्पो० संख्या 1 को अपीलांट के दादाजी रेस्पो० संख्या 1 के पिताजी स्व० जगदीश जी को वसीयत के आधार पर व रेस्पो० संख्या 1 की बहन व अपीलांट की बुआ संतोष बाई, ब्रजेश बाई और अपीलांट की दादी व रेस्पो संख्या 1 की मां गीताबाई द्वारा रिलीज/हक त्याग करने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद से निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से डिक्री की पालना में नामान्तरकरण दर्ज होने से रेस्पो संख्या को खातेदारी प्राप्त हुई है। अपीलांट रेस्पो० संख्या के हिस्से आराजी में बहक पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पत्ति में बराबर के हकदार होने से अपीलांट वाद पत्र की मद नं० में वर्णित आराजी में अपीलांट का नाम खाते में रेस्पो० संख्या 1 के हिस्से में बराबर का हिस्सेदार होने से अपना अपना हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति नहीं मानने में त्रुटि की है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट द्वारा अपने वाद को प्रमाणित कर दिया गया था कि उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। रेस्पो० संख्या 1 को उक्त सम्पत्ति अपने पिता से प्राप्त हुई है जो प्रारम्भसे ही उनकी पैतृक सम्पत्ति चली आ रही है। अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में समुचित साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये दिये गये थे उक्त साक्ष्य व दस्तावेज रेस्पो० संख्या 1 द्वारा अखण्डनीय होने के बावजूद भी उक्त वाद खारिज करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। रेस्पो० संख्या 1 के नाम उक्त आराजी दर्ज होने के कारण उक्त आराजी को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त आराजी अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और अगर उस सम्पत्ति का बेचान कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी एवं वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना चाहिये था जो पाबन्द नहीं किये जाने में त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 को अपास्त किये जाने की कृपा करें एवं वाद में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो अपीलांट को प्रदान फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद की खसरा संख्या 217, 272, 353, 56, 57, 58 कुल किता 7 रकबा 3.49 हैक्टेयर में वादीगण अपीलांटगण प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पुश्तैनी भूमि है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी शिवप्रसाद पुत्र जगदीश की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजी जगदीश पुत्र परथ्या, घीसी, प्रेम कान्ही पुत्रियां परथ्या व किशनी बेवा परथ्या की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी जमाबंदी में घीसी, कान्ही द्वारा किए गए हकत्याग से उनके स्थान पर जगदीश पुत्र परथ्या का नाम दर्ज होने तथा विरासत से मृतक किशनी बाई व प्रेमबाई का नाम खाते से निरस्त होने का अंकन है। पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.09.2010 के अनुसार खातेदार जगदीश द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत अपने पुत्र शिप्रकाश के पक्ष में निष्पादित किए जाने का अंकन है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी शिवप्रकाश को उसके पिता जगदीश से जर्ये वसीयत प्राप्त होना प्रकट होता है। चूंकि अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत वाद अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी सम्पत्ति होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि होने के सम्बंध में समुचित तनकीयात किया जाना आवश्यक था ताकि वादग्रस्त आराजी के वादीगण अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि होने के तथ्य का निर्धारण किया जा सके। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किए तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 पारित किया गया है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के तथाकथित हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सांगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 154/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 13.04.2026 को स्वयं उपस्थित रहें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेंतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा